तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील/एल आर/5585/2003/चित्तौडगढ **सुरेश चन्द बनाम समस्त ग्रामवासियान सांगरिया**	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एकल–पीठ
श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री के.के.पुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थी।
(2) श्री थानेश्वर शर्मा अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय दिनांक :

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के निर्णय दिनांक 21–10–03 के विरूद्व प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा ग्राम सांगरिया तहसील डूंगला की आराजी खसरा नम्बर282 रकबा 1बीघा 10विस्वा एवं आराजी खसरा नम्बर 284 रकबा 1 बीघा 10विस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा भूमि का आवंटन अपीलार्थी को आवंटन कमेटी बडीसादडी द्वारा दिनांक 13–10–01को किया गया था। जिसके विरूद्ध ग्रामवासियान की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर चित्तौडगढ के न्यायालय में उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 21–10–03से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने अपने जबाब में केवल आराजी खसरा नम्बर 284 के बारे में ही

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल आर/5585/2003/चित्तौडगढ** **सुरेश चन्द बनाम समस्त ग्रामवासियान सांगरिया**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सार्वजनिक उपयोग की बात की है,282 के बारे में किसी प्रकार काकोई अंकन नहीं किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 282 पर अपीलार्थी काबिज होकर काश्त कर रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का आवंटन खसरा नम्बर 282 के बारे में गलत रूप से खारिज किया गया है। अपीलार्थी सदभावी भूमिहीन कृषक है। आवंटन सही रूप से जांच कर किया गया है। जहां तक शमसान के लिये रास्ते का प्रश्न है रास्ता विवादित आवंटित भूमि के अलावा स्थित है एवं विवादित भूमि शमसान से दूर है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि को सार्वजनिक मानते हुये आवंटन गलत रूप से खारिज किया गया है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाकर अपीलार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 13–10–01 यथावत कायम रखा जावे।

5– बहस के खण्डन में प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष बताते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिसका नियमों के अन्तर्गत आवंटन नहीं किया जा सकता है। इसलिये अपीलार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन सही रूप से खारिज किया गया है।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा ग्राम सांगरिया तहसील डूंगला की आराजी खसरा नम्बर282 रकबा 1बीघा 10विस्वा एवं आराजी खसरा नम्बर 284 रकबा 1 बीघा 10विस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा भूमि का आवंटन अपीलार्थी को आवंटन कमेटी बडीसादडी द्वारा दिनांक 13–10–01को किया गया था। जिसके विरूद्ध ग्रामवासियान की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर चित्तौडगढ के न्यायालय में उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलार्थी के पक्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल आर/5585/2003/चित्तौडगढ** **सुरेश चन्द बनाम समस्त ग्रामवासियान सांगरिया**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

में किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया।अतिरिक्त जिला कलेक्टर की पत्रावली में अपीलार्थी की ओर से जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें खसरा नम्बर 284 को शमसान के पास बताते हुये सार्वजनिक उपयोग की भूमि बताया गया है और इस खसरा नम्बर के बजाय अन्य भूमि आवंटन करने के लिये निवेदन करने का कथन किया गया है। इसलिये खसरा नम्बर 284 की हद तक जो आवंटन निरस्त किया गया है वह विधि सम्मत है लेकिन खसरा नम्बर 282 के बाबत आवंटन निरस्त करने के लिये अपीलार्थी ने कोई उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नक्शा ट्रेस के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को आवंटित खसरा नम्बर 282 शमसान भूमि से काफी दूर है और सार्वजनिक उपयोग की भूमि नही है और रास्ते की भूमि आवंटित भूमि के अलावा स्थित है। आवंटन फार्म पर हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आवंटी के खाते में सिंचित1 बीघा भूमि,असिंचित 3 बीघा भूमि कुल 4बीघा होना अंकित किया है। आवंटन से पूर्व भूमिहीन होना अंकित किया गया है। आवंटन निरस्तीकरण हेतु जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) प्रस्तुत किया गया है उसमें आवंटी व उसके परिवार के पास 20 बीघा भूमि खातेदारी में होना अंकित किया है लेकिन इस बाबत कोई राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी आदि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि आवंटन से पूर्व आवंटी भूमिहीन नहीं था। आवंटन पूर्ण कौरम में किया गया है। आवंटन आदेश पर प्रधान पंचायत समिति, विकास अधिकारी, तहसीलदार, सरपंच व आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। इसलिये खसरा नम्बर 282 का अपीलार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को गलत नहीं ठहराया जा सकता।

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों को संशोधित करते हुये अपीलार्थी के पक्ष में खसरा नम्बर 282 रकबा 1बीघा 10 विस्वा की हद तक दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल आर/5585/2003/चित्तौडगढ** **सुरेश चन्द बनाम समस्त ग्रामवासियान सांगरिया**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	13–10–2001 को किया गया आवंटन बहाल रखा जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	